महामहिम राज्यपाल
श्री बलिराम भगत का अभिभाषण
31 दिसम्बर, 1993

माननीय सदस्यगण,

राजस्थान की नवगठित 10वीं विधान सभा के प्रथम सत्र को सम्बोधित करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है। मैं माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनन्दन करता हूँ।

2. 15 दिसम्बर सन् 1992 को चुनी हुई सरकार को बरखास्त कर राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। इस आदेश की वैधता का विषय सर्वोच्च् न्यायालय में विचाराधीन है। इस पर कोई टिप्पणी करना समीचीन नहीं होगा परन्तु हाल ही में सम्पन्न हुए चुनावों में जनता ने जनादेश देकर इस व्यवस्था को बदलकर पूर्व के राजनीतिक परिदृश्य को पुन: बहाल कर दिया है। वर्तमान सरकार के प्रति प्रदेशवासियों ने जो विश्वास व्यक्त किया है वह प्रदेश का तेजी से विकास करने, स्वच्छ प्रशासन देने एवं आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता व संकल्प के प्रति विश्वास हैं।

3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं ने विधान सभा के 57 आरक्षित क्षेत्रों में से वर्तमान सरकार में अपने 33 विधायक भेज कर जिस प्रकार से सरकार को सम्बल प्रदान किया है हम उसके लिए उनके विशेष रूप से कृतज्ञ हैं, इस विश्वास और आस्था के कारण सरकार का विशेष दायित्व बनता है कि इन वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायें। इससे स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है, इस सरकार का यह सतत् प्रयास रहेगा कि आर्थिक-सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भविष्य में उनकी किसी प्रकार की उपेक्षा नहीं हो और वे सारे विकास के कार्यकमों की मुख्य धारा से जुड़ें।

4. उपलब्ध शासन प्रणालियों में चुनी हुई सरकार को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था माना गया है। वह पूर्णत: जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करती है। संवेदनशीलता चुनी हुई सरकार की मुख्य पहचान होती है। जन-प्रतिनिधि जन-साधारण की आशा-निराशा और सुख-दु:ख की भावनाओं को शासन तक पहुँचाने का काम करते हैं। वे ही सरकार व जनता के बीच संप्रेषण सूत्र होते हैं। जन कल्याण के लिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था की निरन्तरता वांछनीय है। जनसाधारण व सरकार के बीच का यह महत्त्वपूर्ण माध्यम अब पुन: स्थापित हो गया है। अत: मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जनता की आकांक्षाओं का ध्यान रखते हुए सरकार ने

पिछली बार जिन नीतियों और योजनाओं को प्रारम्भ किया था और जो अपूर्ण रह गई थीं, उन्हें पूरा किया जायेगा और विभिन्न समस्याओं के समाधान के मार्ग निकाले जायेंगे तथा नई नीतियाँ और कार्यक्रम बनाकर जनता के हित में उनको लागू किया जायेगा।

5. 15 दिसम्बर, 1992 से 4 दिसम्बर, 1993 तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। इतनी लम्बी अवधि तक राजस्थान में कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं रहा। अगर चुनाव शीघ्र करवाये जाते तो जनता के प्रति उत्तरदायी शासन स्थापित होता।

6. सदन इस बात से भलीभाँति परिचित है कि विकास के मापदण्डों के अनुसार राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में पीछे रह गया। बिजली, पानी, सिंचाई व अन्य आधारभूत समस्याओं के कारण राजस्थान में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी। साधनों का अभाव भी इसका एक मुख्य कारण रहा है।

7. 4 मार्च, 1990 को श्री भैरोंसिंह शेखावत के नेतृत्व में गठित सरकार ने वित्तीय अनुशासन स्थापित किया, अपव्यय को रोका और राजस्व में होने वाली चोरी पर अंकुश लगाया जिससे वित्तीय व्यवस्था में सुधार हुआ। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य की 3,000 करोड़ रुपये की 7 वीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में 11,500 करोड़ रुपये की 8वीं पंचवर्षीय योजना स्वीकृत कराई गई। देश के अन्य राज्यों की तुलना में योजना के आकार में 283 प्रतिशत की यह वृद्धि सर्वाधिक हुई। योजना आयोग ने भी राज्य की वित्तीय व्यवस्था की सराहना की।

8. पूर्व सरकार ने वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक अनुमान में 186.13 करोड़ रुपये के अधिशेष का प्रस्ताव किया था लेकिन वास्तविक आंकड़ों के अनुसार यह अधिशेष 1 अप्रेल, 1993 को 5.60 करोड़ रुपये के घाटे में बदल गया। सन् 1993-94 की वार्षिक योजना 1704.76 करोड़ रुपये की स्वीकृत कराई गई। राष्ट्रपति शासन काल में अतिरिक्त साधन जुटाने की व्यवस्था नहीं हो पाई और सरकार का घाटा बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप इस वार्षिक योजना के लिए 57 करोड़ रुपयों के अतिरिक्त संसाधनों को कमी रहने की संभावना है। मेरा विश्वास है कि राज्य सरकार इस कमी को पूरा करने का भरपूर प्रयत्न करेगी जिससे योजना का आकार छोटा नहीं हो सके। इसके अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष में अक्टूबर, 1993 तक योजना राशि में से केवल 46 प्रतिशत धनराशि का ही व्यय हुआ है। सरकार का प्रयास होगा कि 31 मार्च, 1994 तक इस योजना की पूर्ण क्रियान्विति हो सके।

9. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के 14वें पावर सर्वेक्षण के अनुमानों के अनुसार राजस्थान में वर्ष 1993-94 में बिजली की 41.7 प्रतिशत तथा ऊर्जा में 35.8 प्रतिशत की कमी आंकी गई है। बिजली की मांग में प्रतिवर्ष लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है।

10. यद्यपि वर्तमान में बिजली की उपलब्धि पिछले वर्ष की खपत के बराबर ही है परन्तु 10 प्रतिशत की वृद्धि हो जाने के कारण कमी अनुभव की जा रही है। इस कमी के सम्बन्ध में विद्युत मण्डल ने राज्य सरकार को अगस्त, 1993 में ही सूचित कर दिया था।

11. रबी फसल के लिए बिजली की मांग 10 नवम्बर से बढ़ जाती है तथा यह प्रतिदिन की खपत का लगभग 40 से 50 प्रतिशत होती है। इस बढ़ी हुई मांग को विद्युत मण्डल प्रतिदिन पंजाब तथा ग्रिड स्रोतों से ओवरड्रा करके यथासंभव पूरी कर रहा है।

12. 12 दिसम्बर तक राज्य में विद्युत उपलब्धि की स्थिति लगभग सामान्य थी परन्तु 13-12-93 को बिजली की उपलब्धि में अचानक कमी आई जिसके प्रमुख कारण यह है :-

1. बम्बई हाई में गैस कन्ट्रोल में कुछ खराबी होने से भारत गैस प्राधिकरण द्वारा गैस आपूर्ति में दिनांक 12.12.93 से कमी कर दी गई जिससे अन्ता, ओरेया तथा दादरी गैस स्टेशनों में विद्युत उत्पादनों में भारी कमी हो गई। इसमें दिनांक 22.12.93 से कुछ सुधार आरम्भ हुआ लेकिन अभी तक पूरी गैस नहीं मिलने के कारण ओरेया तथा दादरी में क्षमता के अनुकूल विद्युत उत्पादन नहीं हो पा रहा है।

2. पंजाब से सहायता के रूप में 40 से 60 लाख यूनिट प्रतिदिन मिलने वाली विद्युत रोपड़ तथा भटिण्डा थर्मल इकाइयों के बन्द होने से दिनांक 13.12.93 से बन्द हो गई।

3. एन.टी.पी.सी. की रिहन्द पर 500 मेगावाट की इकाई 13 दिसम्बर से 17 दिसम्बर तक बन्द रहने के कारण बिजली उपलब्धि में और कमी हो गई।

4. कोटा तापीय परियोजना की चौथी इकाई में वाईब्रेशन व हाईड्रोजन लीक होने के कारण इस इकाई को 18 दिसम्बर, 93 से 20 दिसम्बर, 93 तक आवश्यक मरम्मत के लिए बन्द करना पड़ा। इससे प्रतिदिन 45 लाख यूनिट की उपलब्ध कम हो गई।

5. एन.टी.पी.सी. की रिहन्द दादरी की 500 के.वी. की 2 पोल की लाईन में से एक पोल का तार टूट गया जिसके कारण पश्चिमी अंचल की उपलब्ध बिजली लिया जाना बन्द हो गया। इस लाईन की मरम्मत करने के लिए 24 दिसम्बर से 26 दिसम्बर तक दोनों पोल बन्द करने पड़े। परिणामस्वरूप सिंगरोली एवं रिहन्द में लगभग 800 मेगावाट का विद्युत उत्पादन कम करना पड़ा। साथ ही पश्चिमी अंचल की 300 से 400 मेगावाट उपलब्ध होने वाली बिजली भी शट डाउन के कारण नहीं ली जा सकी। इससे राजस्थान को लगभग 100 से 150 मेगावाट प्रतिदिन की विद्युत की कमी हो गई।

13. विद्युत मण्डल की मांग व आपूर्ति में सामंजस्य स्थापित करने हेतु अब निम्नांकित कदम उठाये गये हैं :-

1. कोटा तापीय विद्युत परियोजना की चौथी इकाई को पुन: 21 दिसम्बर की मध्य रात्रि से चालू किया गया। इससे 45 लाख यूनिट प्रतिदिन की उपलब्धि हो रही है।

2. राजस्थान में स्थित सभी थर्मल इकाइयाँ तथा पन बिजली घर अपनी पूर्ण क्षमता से विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं।

3. इस अवधि में मध्य प्रदेश से रात्रि में 50 से 100 मेगावाट बिजली ली जा रही है।

4. इस समय 40 से 60 लाख यूनिट बिजली उत्तर क्षेत्रीय तंत्र से ओवर ड्रा की गई है।

5. भारत सरकार से बात करके अन्ता, ओरेया तथा दादरी गैस स्टेशनों पर गैस आपूर्ति बढ़ावाकर अधिक उत्पादन कराया गया है।

6. एन.टी.पी.सी. की रिहन्द-दादरी लाईन दिनांक 26 दिसम्बर को ठीक कर चालू कर दी गई है जिससे सिंगरोली व रिहन्द में विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है और पश्चिमी अंचल से भी उपलब्ध बिजली लिया जाना संभव हो सका है।

14. यद्यपि कोटा तापीय बिजली घर की सभी इकाइयाँ पूर्ण क्षमता से कार्य कर रही हैं इसी प्रकार राजस्थान के सभी पन बिजली घर पूरी क्षमता से विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं और बिजली का उत्पादन भी पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है फिर भी मांग और आपूर्ति में अन्तर होने के कारण बढ़ी हुई मांग की आपूर्ति राजस्थान के बाहर से महंगी दर पर विद्युत उपलब्धि पर ही निर्भर रहेगी। जब कभी कोटा तापीय परियोजना या राजस्थान अणु बिजली गृह की इकाइयाँ बन्द होती हैं तो बिजली की आपूर्ति में अस्थायी तौर पर कमी आ सकती है। वर्तमान स्थिति में विद्युत आपूर्ति में पंजाब से सहायता के रूप में बिजली मिलने से ही सुधार हो सकेगा। ऐसी आशा की जाती है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में पंजाब से 40 से 50 लाख यूनिट प्रतिदिन बिजली प्राप्त होगी। इससे स्थिति सामान्य होने की आशा है, परन्तु जिस दिन भी यह सहायता उपलब्ध नहीं होगी राजस्थान में उद्योगों पर कटौती करनी होगी तथा अन्य उपभोक्ताओं पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा।

15. भारत सरकार से यह मांग की जा रही है कि एन.टी.पी.सी. के ओरेया तथा दादरी स्टेशनों के लिए पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध कराई जाय ताकि राजस्थान को अधिक बिजली उपलब्ध हो सके।

16. मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह बताना चाहूँगा कि चारणवाला हैड से 1.2 मेगावाट बिजली उत्पादन का कार्य 23 दिसम्बर से आरम्भ हो गया है। सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह की पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति, जिसको भारत सरकार ने वापस ले लिया था दिनांक 24 दिसम्बर, 1993 को पुन: प्राप्त कर ली गई है। रामगढ़ गैस आधारित विद्युत परियोजना पर काम हो रहा है और 1994 में इससे बिजली उत्पादन का काम शुरू हो जायेगा। कोटा तापीय बिजली घर की पाँचवीं यूनिट भी मार्च, 1994 तक चालू हो जायेगी इससे भी बिजली की कमी को दूर करने में सहायता मिलेगी।

17. इस अप्रत्याशित संकट के प्रसंग में मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार किसी प्रकार से भी, चाहे महंगी बिजली बाहर से खरीदनी पड़े, बिजली उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगी। बिजली के वितरण के सम्बन्ध में काफी सुधार किये गये हैं, मोनीटरिंग के काम को चालू किया गया है और जहां ट्रांसफार्म जल गये हैं या खराब हो गये हैं, दूसरे ट्रान्सफार्मर

लगाये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें इस बारे में जनता का सहयोग चाहिए जिससे इस स्थिति से उबरा जा सके।

18. सरकार पेयजल समस्या की गंभीरता से पूर्णतया परिचित है और अधिकाधिक ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कृत-संकल्प है। जोधपुर जलोत्थान योजना को पूर्ण करवाने के लिए श्री शेखावत की पूर्व सरकार ने वर्ष 1991-92 में 3386 लाख रुपये और 1992-93 में 4182 लाख रुपये का व्यय करवाया था। ज्ञातव्य है कि इस परियोजना में वर्ष 1983-84 से 1989-90 तक कुल 3156 लाख रुपये का ही व्यय किया गया था। कुछ अपरिहार्य कारणों से योजना में थोड़ा व्यवधान आ गया है। इस बात का पूर्ण प्रयास किया जायेगा कि इस लघु योजना से वांछित लाभ मिल सके। जोधपुर वृहद् जलोत्थान योजना को पूर्ण करने की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाये जायेंगे। बीसलपुर जल परियोजना को पूरा करने के लिए सरकार वित्तीय संसाधन जुटाने की दिशा में कार्यरत रहेगी। बीकानेर में बीछवाल जलाशय का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करवा लिया जायेगा। चूरू एंव गंगानगर जिले के 325 गाँवों और दो शहरी क्षेत्रों में पेयजल समस्या के स्थाई समाधान के लिए जर्मन सरकार से वित्तीय संसाधन मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसी वित्तीय वर्ष में 2195 राजस्व ग्राम, 500 ढाणियों तथा 2000 अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बस्तियों में पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा। हैण्डपम्प संधारण की दोहरी व्यवस्था को निकट भविष्य में समाप्त कर दिया जायेगा।

19. राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था मुख्यत: कृषि पर निर्भर है। राज्य के अधिकांश भागों में, चम्बल के अतिरिक्त कोई सतत् प्रवाहित होने वाली नदी नहीं होने के कारण अधिकांशत: कृषि वर्षा पर निर्भर रहती है। चालू वर्ष में राज्य में 8 मध्यम एवं 66 लघु सिंचाई परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इनमें से 12 लघु सिचांई परियोजनाएँ जर्मनी द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता से क्रियान्वित की जा रही हैं। राजस्थान सरकार द्वारा और नई लघु सिंचाई परियोजनाएँ आरम्भ करने के लिए जर्मन सरकार से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

20. राजस्थान में औसत वर्षा बहुत कम होने के कारण सिंचाई के पानी के लिए राजस्थान को अन्तर्राज्यीय नदियों से उपलब्ध होने वाले पानी के हिस्से पर निर्भर रहना पड़ता है। अन्तर्राज्यीय स्तर पर समझौते होने के बावजूद भी राजस्थान को उसके हिस्से का अवंटित पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। सरकार का यह प्रयास होगा कि सभी लम्बित अंतर्राज्यीय जल विवादों को शीघ्रता से सुलझाया जाये एवं राजस्थान के हिस्से का रावी-व्यास, यमुना एवं माही नदियों का पानी प्राप्त किया जाये।

21. इस वर्ष वर्षा की कमी के कारण भाखड़ा एवं पोंग बांध में बहुत कम पानी आया है। राजस्थान को सामान्य वर्ष की तुलना में करीब 60 प्रतिशत पानी उपलब्ध होगा। मेरी सरकार का प्रयास होगा कि राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी राज्य को मिले। यदि आवश्यकता हुई तो

पूरा पानी प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के स्तर पर भी प्रयास किये जायेंगे जिसमें इस सदन के सभी पक्षों का सहयोग लिया जायेगा। मेरी सरकार यह भी प्रयत्न करेगी कि हैडवर्क्स का नियंत्रण भाखड़ा-व्यास प्रबन्धक मण्डल को जल्द से जल्द स्थानान्तरित हो।

22. राज्य के सूखाग्रस्त उत्तरी क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य को ध्यान में रख कर ई.ई.सी. से सिद्धमुख-नोहर नहर परियोजना के निर्माण हेतु रु. 135 करोड़ की आर्थिक सहायता का एक अनुबन्ध किया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ हो गया है जिससे इस पिछड़े क्षेत्र को अकाल की त्रासदी से मुक्त कराया जा सकेगा।

23. सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी के उपयोग हेतु जल वितरण समितियाँ गठित की हुई हैं। ये समितियाँ वर्तमान में प्राय: निष्प्रभावी हैं। इन समितियों को और अधिकार देकर एवं इनमें काश्तकारों की प्रभावी भागीदारी बढ़ाकर अधिक सक्षम बनाया जायेगा।

24. दुर्भाग्यवश इस वर्ष अनियमित वर्षा के कारण राजस्थान में अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इस अभाव की वास्तविक जानकारी गिरदावरी की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही मिलती है 14 जिलों की गिरदावरी की अन्तिम रिपोर्ट राज्य सरकार को अक्टूबर माह में प्राप्त हुई थी और शेष 16 जिलों की रिपोर्ट राज्य सरकार को हाल ही में प्राप्त हुई है हालांकि सन् 1985-86 को छोड़कर गत 10 वर्षों में अकाल राहत कार्य कभी भी जनवरी माह से पूर्व प्रारम्भ नहीं किये गये, परन्तु राष्ट्रपति शासन में 1 नवम्बर से ही अकाल राहत कार्य आरम्भ करने की घोषणा कर दी गई। विधान सभा चुनावों की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के कारण इस घोषणा पर अमल नहीं किया जा सका, परन्तु मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जनवरी माह में अकाल राहत कार्य शुरू कर दिये जायेंगे और अन्य प्रकार की राहत भी उपलब्ध कराई जायेगी।

25. आवासीय समस्या के समाधान के विशेष प्रयत्न किये जायेंगे खासकर अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग तथा अंत्योदय परिवारों के आवास की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इस हेतु पूरे राजस्थान का समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वेक्षण कराया जायेगा और जिन लोगों के पास आवासीय भू-खण्ड नहीं हैं उनको भूखण्ड उपलब्ध कराये जायेंगे तथा हुडको की सहायता से भवनों के निर्माण की योजना बनाकर उसको लागू किया जायेगा, आवश्यकता हुई तो इसके लिए 'रूरल हाउसिंग बोर्ड' का गठन भी किया जायेगा।

26. जयपुर तथा अन्य बड़े नगरों में भूमि रूपान्तरण की समस्या वर्षों से लम्बित थी। इस समस्या के निराकरण के लिए करीब एक वर्ष पूर्व व्यापक पैमाने पर जनता को राहत देने के लिए नियमन की योजना, पक्ष और विपक्ष के विभिन्न राजनेताओं के परामर्श पर बनाई गई थी और आदेश भी जारी किये गये थे किन्तु दुर्भाग्य से सरकार भंग हो गई और कुछ समय बाद इस आदेश पर रोक लगा दी गई। अब यह सरकार शीघ्र ही इस सम्बन्ध में आदेश प्रसारित कर राज्य के हजारों भू-खण्डधारियों को लाभान्वित करेगी।

27. राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जून-जुलाई सन् 1988 में हुए थे। जनता की मांग पर राज्य सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन का निर्णय लिया। पुनर्गठन की प्रक्रिया किसी प्रकार से प्रभावित न हो इस दृष्टि से पंचायतों का कार्यकाल जून-जुलाई, 1991 में समाप्त होने पर इन संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त किये गये। पुनर्गठन की कार्यवाही के फलस्वरूप पंचायतों की संख्या 7358 से बढ़कर 9173 हो गई। पुनर्गठन की इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात् पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई। पंचायतों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने एवं कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण प्रावधानों के लिए पंचायत अधिनियम, 1953 में अक्टूबर, 1992 में संशोधन भी किये गये परन्तु दिसम्बर, 1992 में चुनी हुई सरकार को भंग कर दिये जाने के कारण इनके चुनाव नहीं हो सके।

28. अप्रेल, 1993 में भारत के संविधान में 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए नये प्रावधान किए गये जिसके कारण पंचायती राज से सम्बन्धित अधिनियमों में संशोधन करना आवश्यक हो गया। राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 एवं राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1959 में संविधान में हुए संशोधन के अनुरूप संशोधन करना होगा। इसके लिए एक नये संशोधन विधेयक का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इसको अन्तिम रूप देने से पहले सरकार विपक्ष से भी विमर्श करना चाहेगी। संविधान में हुए संशोधन के कारण पंचायती राज संस्थाओं के लिए नये सिरे से चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना पड़ेगा और उसके पश्चात् ही चुनाव संभव हो सकेंगे। हमारी सरकार यह चाहेगी कि यह प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र पूरी हो।

29. पंचायती राज संस्थाओं में प्रशासकों के स्थान पर जनप्रतिनिधि नियुक्त करने के बारे में भी राष्ट्रपति शासन में विचार-विमर्श हुआ था परन्तु विधान सभा के चुनावों की प्रक्रिया आरम्भ होने के कारण यह व्यवस्था नहीं हो सकी। यह सरकार इस सम्बन्ध में इस सदन का विचार जानना चाहेगी कि इन संस्थाओं में जन प्रतिनिधियों की नियुक्ति यदि उपयुक्त हो, तो इनका मनोनयन किस आधार पर किया जाए।

30. राजस्थान में 182 नगरपालिका/परिषद्/निगम है, जिनमें से 138 नगरपालिकाओं के चुनाव 1990 में सम्पन्न कराये गये, शेष 44 नगरपालिकाओं में से अधिकांश के चुनाव वर्ष 1970, 1974, 1976 व 1982 में हुए थे। उनके चुनाव की प्रक्रिया भी आरम्भ कर दी गई परन्तु उच्च न्यायालय के भिन्न-भिन्न कारणों से चुनाव रोकने के निर्देश दिये जिससे चुनाव समय पर सम्पन्न नहीं कराये जा सके। उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि दिनांक 31.10.93 से पूर्व चुनाव प्रक्रिया आरम्भ की जानी चाहिए। राष्ट्रपति शासन में भी इस विषय पर विचार हुआ परन्तु विधान सभा चुनावों की प्रक्रिया आरम्भ होने के कारण यह चुनाव सम्पन्न नहीं हो सके। इस स्थिति में भी इन 44 नगरपालिकाओं के चुनाव कराने हेतु विभाग द्वारा प्रक्रिया आरम्भ कर

दी गई, जिसके अनुसार 6 अप्रेल, 1994 को मतदान का दिन निश्चित कर दिया गया। इस बीच भारत सरकार ने उनके पत्र दिनांक 22.12.93 द्वारा राज्य सरकार को सूचित किया कि यदि इन नगरपालिकाओं के चुनाव वर्तमान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत कराये जाते हैं तो इन नगरपालिकाओं की अवधि केवल 31.11.94 तक ही रहेगी और उससे पूर्व एक बार पुन: इनके चुनाव कराने पड़ेंगे। केन्द्रीय सरकार की इस सलाह को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इन बची हुई 44 नगरपालिकाओं के चुनाव कराने से पूर्व राजस्थान नगर परिषद्/नगरपालिका अधिनियम, 1959 के प्रावधानों को संविधान के 74 वें संशोधन के अनुसार संशोधित किया जाये और उसके पश्चात् ही चुनाव कराये जाये। अत: अब इससे संबंधित विधेयक शीघ्र ही विधान सभा में लाया जायेगा और इस विधेयक के पारित होने के पश्चात ही चुनाव की प्रक्रिया आरम्भ होगी।

312. सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था, साम्प्रदायिक सद्भाव व अमन-चैन कायम रखने को उच्च प्राथमिकता देगी। इस बात को सुनिश्चित किया जायेगा कि आम नागरिक में सुरक्षा की भावना बनी रहे और समाज कंटकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हो। सरकार राज्य में अपराधों और बढ़ती हुई आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगायेगी और सुनिश्चित करेगी कि प्रदेश में सभी सम्प्रदायों के बीच सद्भावना बनी रहे और वे आपस में मिल-जुलकर शान्ति से रहे। इसी क्रम में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर से तस्करी की रोकथाम के लिए भी पुख्ता इन्तजाम किये जायेंगे।

32. भारतीय संविधान में प्रशासनिक सेवाओं की संरचना राज्य के एक स्थाई अंग के रूप में इस प्रकार परिकल्पित की गई है कि वह जनता द्वारा चुनी गई सरकार के प्रति उत्तरदायी भी हो एवं उसके मार्गदर्शन में संवैधानिक मर्यादाओं तथा विधि व्यवस्था के अन्तर्गत निष्पक्ष रूप से कार्य करें। राजस्थान इस दृष्टि से अपेक्षाकृत सौभाग्यशाली राज्य रहा है कि वहां की राज्य सेवाओं में निष्पक्षता, कार्यक्षमता और सन्तुलित दृष्टिकोण की सराहनीय परम्पराएं रही हैं। किन्हीं कारणों से इन परम्पराओं में विगत अर्से में जो विसंगतियाँ आ गई थीं उनके निराकरण हेतु वर्तमान सरकार जहां एक ओर सुयोग्य एवं ईमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहित करेगी वहां दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित करेगी कि जन-आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य न कर निजी स्वार्थ में लिप्त रहने वाले अधिकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का मुख्य काम नीति निर्धारण करना है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी उत्तरदायी हैं। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वर्ष के आरम्भ में ही हर प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष एवं सार्वजनिक उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पूरे वर्ष के लक्ष्य दे दिये जायें और उसके बाद उनके कार्य का मूल्यांकन उन लक्ष्यों की प्राप्ति पर आधारित हो।

33. यद्यपि आज भी राजस्थान में जिला एवं उपखण्ड स्तर पर सतर्कता समितियाँ बनी हुई हैं परन्तु व्यावहारिक रूप से देखा गया है कि ये समितियाँ प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पा

रही हैं। इस बात की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा कि इनके माध्यम से जन साधारण की समस्याओं का शीघ्र निराकरण हो सके। इसलिए हर माह उन समितियों द्वारा किये गये कार्यों का उच्च स्तर पर मूल्यांकन किया जायेगा। प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण व सुधार हेतु श्री जी.के.भनोत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अब तक 4 अन्तरिम रिपोर्ट दी हैं। जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने से आम आदमी को लाभ पहुँचेगा। इस मंशा से वर्तमान सरकार इन सिफारिशों पर शीघ्र निर्णय लेकर आवश्यक सिफारिशें बजट प्रस्तावों में प्रस्तुत करेगी।

34. राजस्थान में पशुओं की नस्ल के सुधार का कार्यक्रम वर्षों से निरन्तर चल रहा है परन्तु इसमें कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। इतना ही नहीं यदि सही मूल्यांकन किया जाये तो यह प्रकट होगा कि कुछ नस्ले शनैः शनैः समाप्त हो रही हैं। इन नस्लों का संरक्षण एवं संवर्द्धन राज्य एवं जनता के हित के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए सरकार इस विषय पर विचार कर रही है कि भिन्न-भिन्न नस्लों के लिए ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण किया जाये कि उस क्षेत्र में उसी नस्ल के संवर्द्धन हेतु विशेष व्यवस्था की जाये।

35. डंकल प्रस्तावों पर भारत सरकार को स्वीकृति होने के कारण देश के किसानों में चिन्ता उत्पन्न हुई है। वर्तमान सरकार प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करना चाहती है कि डंकल प्रस्ताव के कुप्रभावों से प्रदेश के किसानों के हितों को सुरक्षित बनाये रखने का हर संभव प्रयत्न किया जायेगा।

36. वर्तमान सरकार का गठन 4 दिसम्बर 1993 को श्री भैरोंसिंह शेखावत के द्वारा मुख्य मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने से हुआ। इस सरकार की सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए एक माह का समय दिया गया। इसके अतिरिक्त निकट भविष्य में ही बजट सैशन आहूत किया जायेगा। यद्यपि यह सरकार अपूर्ण कार्य पूर्ण करने के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करने हेतु कृत संकल्प है, फिर भी उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में नीतियों एवं कार्यक्रमों की व्यापक घोषणाएँ मर्यादाओं एवं परम्पराओं के अनुरूप बजट अधिवेशन में ही की जायेंगी।

37. राजस्थान एक साधन सम्पन्न किन्तु पिछड़ा प्रदेश है। यहां के लोगों की कठिन मेहनत करने तथा जोखिम लेने की क्षमता सारे देश में जानी जाती है। विस्तृत भू-भाग, उन्नत पशुधन, विपुल खनिज सम्पदा, उपजाऊ धरती, प्राकृतिक विविधताओं व मनोहारी हस्तकलाएँ राज्य के विकास के आधार स्तम्भ हैं। राज्य के विकास को गति देकर अन्य विकसित राज्यों के बराबर लाने के लिए विकास व्यवस्था व विकास संरचना में आवश्यक परिवर्तन जरूरी है। सरकार की यह कोशिश होगी कि व्यापक सहमति से योजनागत प्राथमिकताओं व कल्याणकारी कार्यक्रमों का पुनः निर्धारण किया जाये ताकि विकास योजनाओं में खर्च की जाने वाली धनराशि का प्रदेश

को अधिक से अधिक लाभ मिले। स्थानीय प्राथमिकताओं व संभावनाओं को देखते हुए जिलेवार विकास योजनाएँ तैयार की जायेंगी और सामाजिक तथा आर्थिक लाभ का सामंजस्य बैठाकर योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन किया जायेगा।

38. माननीय सदस्यगण, इस सत्र में निम्न विधेयक आपके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे-

1. राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1994

2. राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1994

3. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1994

सत्र में निम्न वित्तीय कार्य भी किये जायेंगे :-

1. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 1993-94 (प्रथम संकलन)

2. वर्ष 1985-86 के लिए अतिरेक मांगें

3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)। संविधान का 77वाँ (संशोधन) का अनुसमर्थन पारित कराया जायेगा।

39. जन-आकांक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के सर्वांगीण विकास में समर्पित भाव से जुट जाने का लक्ष्य लेकर सभी माननीय सदस्य इस सदन में एकत्रित हुए हैं। इस लक्ष्य पर सभी एकमत हैं। इसलिए इस सरकार का यही प्रयास होगा कि पक्ष-प्रतिपक्ष, सभी ओर के सदस्यों का राज्य हित में रचनात्मक सहयोग लिया जाय जिससे इस देश की इस चिरन्तन कामना को हम क्रियान्वित कर सकें -

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग् भवेत्।।

'सब सुखी रहें, निरोग रहें, अच्छे से अच्छे दिन देखें, दुःख के दिन न देखें' आप सबके विचार और प्रयास इस भावना को चरितार्थ करने में सफल हों, यही मेरी कामना है।

जय हिन्द !

✪✪✪